रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72

REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 63] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 19, 1976/माघ 30, 1897

No. 63] NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 19, 1976/MAGHA 30, 1897

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF AGRICULTURE AND IRRIGATION

(Department of Food)

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th February 1976

G.S.R. 90(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2), read with clause (e) of sub-section (1), of section 7 of the Food Corporations Act, 1964 (37 of 1964), and sub-rule (3) of rule 3 of the Food Corporations Rules, 1965, the Central Government hereby appoints Shri P. V. R. Kutty Menon and Shri J Dayanand on the Board of Directors of the Food Corporation of India, established under the said Act, in place of Dr. M. S. Randhawa and Shri P. L. Tandon respectively and directs that the following further amendments shall be made in the notification of the Government of India in the late Ministry of Food and Agriculture (Department of Food) No G.S.R. 37, dated the 2nd January, 1965, namely:—

In the said notification,—

(i) for entry 6, the following entry shall be substituted, namely:—

"6. Shri P. V. R. Kutty Menon, 7-1-77, Ameerpet, Hyderabad-500016.";

(ii) for entry 8, the following entry shall be substituted, namely:—

"8. Shri J. Dayanand, 5, Saint Martin Street, Pondicherry-605001.".

[No. F. 4-1/73-FC-I-Vol II]

L. C. GUPTA, Jt. Secy.

कृषि और सिंचाई मंत्रालय

(खाद्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 फरवरी, 1976

सा० का० नि० 90(अ).—खाद्य निगम अधिनियम, 1964 (1964 का 37) की धारा 7 की उपधारा (1) के खंड (ङ) के साथ पठित उप-धारा (2) और खाद्य निगम नियम, 1965 के नियम 3 के उप-नियम (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार श्री पी० वी० आर० कुट्टी मेनन और श्री जे० दयानन्द को क्रमशः डा० एम० एस० रंधावा और श्री पी० एल० टंडन के स्थान पर, उक्त अधिनियम के अधीन स्थापित भारतीय खाद्य निगम के निदेशक बोर्ड में एतद्द्वारा नियुक्त करती है और निदेश देती है कि भारत सरकार के भूतपूर्व खाद्य तथा कृषि मंत्रालय (खाद्य विभाग) की अधिसूचना सं० सा० का० नि० 37, तारीख 2 जनवरी, 1965 में निम्नलिखित और संशोधन किया जाए, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में,—

(i) प्रविष्टि 6 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात :—

"6. श्री पी० वी० आर० कुट्टी मेनन, 7-1-77, अमीरपेट, हैदराबाद-500016";

(ii) प्रविष्टि 8 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"8. श्री जे० दयानन्द, 5-सेंट माटिन स्ट्रीट, पांडिचेरी-605001.".

[सं० फा० 4-1/73-एफ० सी०-1 खण्ड-2]

एल० सी० गुप्त, संयुक्त सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1976